



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271445
CG-DL-E-31032026-271445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 214]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 233(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- आयकर नियम, 1962, परिशिष्ट-2 में प्ररूप आईटीआर-अ के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप आईटीआर-यू (अद्यतन विवरणी के लिए आईटीआर) रखे जाएंगे, अर्थात् :—

प्रति	आ.क.वि.- यू	भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी [व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से अड़तालीस महीने के भीतर आय/हानि को करने को अद्यतन करने के लिए] (पात्रता के लिए निर्देश देखें) (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कग देखें)

भाग क साधारण जानकारी - 139(8क)

(क1) पैन	(क2) नाम	(क3) आधार संख्या (12 अंक)
(क4) निर्धारण वर्ष (	(क5) क्या इस निर्धारण वर्ष के लिए पहले विवरणी फाइल की गई थी? ☐ हाँ ☐ नहीं	(क6) यदि हाँ, क्या धारा 139(1) के अधीन फाइल किया गया है ☐ ☐ अन्य
(क7) यदि लागू हो, तो फाइल प्ररूप दर्ज करें, पावती संख्या या रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	(कृपया ड्रॉपडाउन से आईटीआर प्रकार चुनें)	पाव.सं. और फाइल करने की तारीख / /
(क8) क्या आप धारा 139(8क) के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुक में अधिकथित शर्तों के अनुसार अद्यतन विवरणी फाइल करने के पात्र हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं		
(क9) कृपया अपनी आय/हानि को अद्यतन करने के लिए आईटीआर प्ररूप चुनें (आईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भरा जाना चाहिए - निर्देश देखें)		
(क10) आपकी आय को अद्यतन करने के कारण: ☐ विवरणी पहले फाइल नहीं किया गया ☐ आय की सही सूचना नहीं दी गई ☐ हानि सह रूप से नहीं रिपोर्ट की गई (हानि की कमी के मामले में) ☐ आय के गलत शीर्ष चुने गए ☐ अग्रेषित हानि में कमी ☐ शेष अवक्षयण में कमी ☐ धारा 115अख/115 जग के अधीन प्रतिदेय कर में कमी ☐ कर की गलत दर ☐ धारा 148 के अधीन नोटिस क लिए प्रतिउत्तर में विवरणी यदि दाखिल की गई है, धारा 148 के अधीन नोटिस के लिए प्रतिउत्तर दस्तावेज पहचान सं. (डीआईएन) और ऐसी सूचना की तारीख प्रविष्ट करें ऐसी सूचना की तारीख (ता/मा/वर्ष) दस्तावेज पहचान सं. ☐ अन्य		
(क11) क्या आप सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से 12 महीने तक ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से ☐ 12 से 24 महीनों के बीच की अवधि के दौरान अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 24 से 36 माह के बीच ☐ सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 36 से 48 माह के बीच		
(क12) (क) क्या आप अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर को कम करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं (ख) यदि हां, तो कृपया निर्धारण वर्ष निर्दिष्ट करें जहां इस अद्यतन विवरणी के कारण अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर प्रभावित हो रहा है। (कृपया ड्रॉपडाउन मेन्यू से चयन करें) ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए मूल/पुनरीक्षित विवरणी फाइल की गई है ☐ हाँ ☐ नहीं ☐ क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फाइल की गई है ☐ हाँ ☐ नहीं		

भाग ख - कुल अद्यतन आय और देय कर की अति संगणना			
1.	क.	आय/हानि में कमी का एक शीर्ष जिसके अधीन अद्यतन विवरणी राशि के अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय लौटाई जा रही है	रूपए में रकम
		आय का शीर्ष (यदि हों, तो कृपया अतिरिक्त आय निर्दिष्ट करें)	
	क.	वेतन से आय	
	ख.	गृह संपत्ति से आय	
	ग.	व्यापार या वृत्तिक से आय	
	घ.	पूँजीगत लाभ से आय	
	ङ.	अन्य स्रोतों से आय	
	च.	कुल अतिरिक्त आय/हानि में कमी (क+ख+ग+घ+ङ.)	
	ख.	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय/हानि (केवल उन मामलों में जहां आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)	
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल अद्यतन आय आयकर विवरणी 2/3/5/6/7 या भाग ग आ.क.वि - 1/4 (यथा लागू) की कटौती और कर योग्य कुल आय	
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर.-1 को संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आई.टी.आर.-1 (यथा लागू) के कर संगणना और कर प्रास्थिति (कृपया अनुदेश देखें)	
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर 2/3/5/6/7 या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.-1 के संदेय कर की संगणना या भाग घ अद्यतन आ.क.वि.4 (यथा लागू) की कर संगणना और कर प्रास्थिति के भाग ख-टीआई के "प्रतिदाय" से ली जाए)	
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)	
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो	
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (इस राशि में प्राप्त ब्याज धारा 244क के अधीन सम्मिलित होना चाहिए) (कृपया निर्देश देखें)	
7.		पहले विवरणी के अनुसार धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क	
8.		नियमित निर्धारण कर (लागू मामले में) (कृपया उस संदेय कर का उल्लेख करें जो क्रम सं. 5 में घोषित संदेय कर के अधिक है और उपर है)	
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता	
		(i) $[3+6ii-(5+8+4)]$ प्रतिदाय जारी की गई है	
		(ii) $[3+6i-(5+8+4)]$ प्रतिदाय जारी नहीं किया गया है	
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता $[(9-7) \text{ का } 25\% \text{ या } 50\% \text{ या } 60\% \text{ या } 70\%]$ अथवा ऐसी अद्यतन आय जहां विवरणी धारा 148 के अधीन जारी सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल की जाती है पर अतिरिक्त आयकर देयता $[(9-7) \text{ का } 35\% \text{ या } 60\% \text{ या } 70\% \text{ या } 80\%]$	
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)	
12.		140ख के अधीन संदेय कर	
13.		देय कर (11-12)	
14.		कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)	
	क.	धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण	

140ख के अधीन कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान रकम की क्रम संख्या	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
टिप्पण ▶		भाग ख-अति के क्र. सं.11पर धारा 140ख के अधीन संदेय कर का योग			
ख	अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण कर के भुगतान का विवरण, जिसके लिए जमा नहीं किया गया है पहले के विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की अनुमति नहीं है)				
अग्रिम/स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर	क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	चालान राशि की क्रम संख्या	रकम(रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
टिप्पण ▶		धारा 140ख(2) के अधीन उपरोक्त के लिए प्रतिदेय की अनुमति नहीं है			
15. धारा 89के अधीन राहत जिसका दावा पहले विवरणी में नहीं किया गया है [उसके लिए धारा 140 ख (2) के अधीन राहत की अनुमति नहीं है]					रुपए

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं हूँ इस विवरणी को _____ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान करने के लिए ड्रॉप डाउन) के रूप में अपनी क्षमता में बना रहा हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख: _____ हस्ताक्षर: _____

[अधिसूचना सं 52/2026/ फा.सं.370142/13/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 (अ), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।